राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 17(1)शिक्षा–1/2019 पार्ट जयपुर, दिनांक : 22/10/2019

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय का संस्था प्रधानों एवं शिक्षा अधिकारियों से सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजन बाबत संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय के संस्था प्रधानों एवं शिक्षा अधिकारियों से सीधा संवाद कार्यक्रम **"शिक्षा मंत्री चले विद्यालय की ओर ....."** अभियान चलाया जायेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, संस्था प्रधानों एवं शिक्षा अधिकारियों में आत्मविश्वास का संचार करना एवं अभिभावकों में राजकीय विद्यालयों के प्रति सकारात्मक सोच एवं विश्वास बहाल करना है।

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य ने सीखने के प्रतिफलों (Learning Outcomes) (कक्षा 3, 5, 8) में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा में अपनी धाक जमाई है। इसको कायम रखने एवं आगामी समय में और सुधार करने तथा आगामी बोर्ड परीक्षा के परिणाम में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि के लिए एक राज्यव्यापी मिशन प्रारम्भ किया जा रहा है। इस अभियान में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय के साथ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर भी प्रवास करेंगे।

इस मिशन के प्रथम चरण में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय द्वारा कोटा एवं उदयपुर मण्डल के संस्था प्रधानों एवं शिक्षा अधिकारियों से सीधा संवाद किया जाना है। तत्पश्चात द्वितीय चरण में पाली, जोधपुर एवं अजमेर मण्डल एवं तृतीय चरण में जयपुर, चूरू एवं बीकानेर मण्डल के संस्था प्रधानों से सीधा संवाद किया जायेगा।

कार्यक्रम के आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रथम चरण में शिक्षा अधिकारियों से संवाद हेतु तिथियां निम्नानुसार हैं :–

1. 08.11.2019 कोटा (कोटा संभाग के समस्त शिक्षा अधिकारी)
2. 09.11.2019 उदयपुर (उदयपुर संभाग के समस्त शिक्षा अधिकारी)

शेष मण्डलों के लिए तिथियों का निर्धारण बाद में किया जायेगा।

संवाद के मुख्य बिन्दु :–

1. विद्यार्थियों की आवश्यकता का आकलन।
2. विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से संवाद कर कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) गठन।
3. विद्यालय स्तर पर आवश्यकतानुसार ठोस कार्य योजना का निर्माण एवं उत्तरदायित्व हस्तान्तरण।
4. कार्य योजना के चरणों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन।
5. कार्य योजना का पाक्षिक मूल्यांकन एवं प्रति पुष्टि।
6. ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं मण्डल स्तर पर सम्बलन की कार्ययोजना।
7. राज्य स्तर पर कार्यक्रम का प्रबोधन।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यकतानुसार निदेशालय एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से अधिकारियों को सम्बन्धित मण्डल में कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक आदेश एवं दिशा–निर्देश जारी कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

22/10/19

(अशोक कुमार त्रिवेदी)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयक, समग्र शिक्षा – कोटा, उदयपुर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, भरतपुर एवं अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

22.10.19

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी–शिक्षा